

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: फा. 3(16)(1)सविरा/नियम/शक्तियाँ प्रत्यायोजन/03 पार्ट-2 दिनांक १०.५.२०/३

परिपत्र

सहकारिता विभाग के अधिकारियों को राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की विभिन्न धाराओं के प्रत्यायोजन संबंधी पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिलंगित करते हुए नये सिरे से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(33)को-ऑप/2012 जयपुर, दिनांक 4.4.13 के माध्यम से अधिनियम की विभिन्न धाराओं की शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् उत्पन्न परिवर्तित परिस्थितियों के संबंध में विभिन्न खण्डीय/इकाईयों द्वारा उनके कार्यालय में अधिनियमान्तर्गत प्रक्रियाधीन प्रकरणों के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः इस संबंध में यह स्थिति स्पष्ट की जाती है कि पूर्व में जिन अधिकारियों के कार्यालय में पूर्व में उनको प्रदत्त अधिनियमान्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी, तथा अब राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.4.13 द्वारा अधिनियम की कतिपय ऐसी धाराओं की शक्तियां उन्हें प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं, जिनके संबंध में उनके कार्यालय में प्रकरण विचाराधीन चल रहे हैं, ऐसे समस्त प्रकरण ऐसे अधिकारियों द्वारा अग्रिम अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही हेतु ऐसे सक्षम अधिकारियों को प्रेषित किये जावेंगे, जिन्हें अधिसूचना दिनांक 4.4.13 द्वारा अधिनियम की संबंधित धाराओं की शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, उदाहरणार्थ -

1. पूर्व में प्राथमिक सहकारी समितियों के मामले में अधिनियम की धारा 55, 57, 58 एवं 61 की शक्तियां इकाई अधिकारियों के साथ ही खण्डीय अधिकारियों एवं प्रधान कार्यालय में पदस्थापित फंक्शनल अधिकारियों को प्रत्यायोजित थीं, किन्तु दिनांक 4.4.13 की अधिसूचना में उक्त शक्तियां केवल इकाई अधिकारियों को ही प्रत्यायोजित की गई हैं। अतः यदि किसी खण्डीय अधिकारी अथवा प्रधान कार्यालय में पदस्थापित किसी फंक्शनल अधिकारी द्वारा किसी प्राथमिक सहकारी समिति के मामले में अधिनियम की उक्त धाराओं में कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो, तो अब दिनांक 4.4.13 द्वारा जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में अब खण्डीय अधिकारी अथवा प्रधान कार्यालय में पदस्थापित फंक्शनल अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रकरणों में अधिनियमान्तर्गत कोई अन्य कार्यवाही नहीं करते हुए ऐसे प्रकरणों को अग्रिम अधिनियमान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित सक्षम इकाई अधिकारियों को प्रेषित किया जावेगा।
2. पूर्व में गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में अधिनियम की धारा 61 की शक्तियां संबंधित इकाई एवं खण्डीय अधिकारियों को तथा प्रधान कार्यालय स्थित फंक्शनल अधिकारियों को प्रदत्त थीं, किन्तु दिनांक 4.4.13 को जारी अधिसूचना में उक्त शक्तियां इकाई एवं खण्डीय अधिकारियों को तथा प्रधान कार्यालय स्थित फंक्शनल अधिकारियों को प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं। अतः गृह निर्माण सहकारी समितियों के मामले में अधिनियम की धारा 61 की शक्तियों का प्रयोग अब केवल रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा ही किया जा सकता है। अतः यदि किसी गृह निर्माण सहकारी समिति के संबंध में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत किसी इकाई एवं खण्डीय अधिकारी द्वारा कोई आदेश जारी किया

गया हो, तो अब वह ऐसे समस्त प्रकरणों में अब अधिनियमान्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं करते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान को प्रेषित किये जावेंगे।

अतः अधिसूचना दिनांक 4.4.13 में प्रदत्त शक्तियों के मध्यनजर सभी अधिकारियों द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

७६
(पवन कुमार गोयल)
रजिस्ट्रार

क्रमांक: फा. 3(16)(1)सविरा/नियम/शक्तियों प्रत्यायोजन/03 पार्ट-2 दिनांक 9.5.2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त पंजीयक (प्रथम/द्वितीय), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त/संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्ड (समस्त)
4. फंक्शनल अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर (समस्त)
5. संयुक्त पंजीयक (सहकारिता), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ, जयपुर।
7. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर।
8. उप/सहायक पंजीयक, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० (समस्त)
9. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी/विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां (समस्त)
10. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
11. गार्ड फाइल।

(पवन कुमार गोयल)
रजिस्ट्रार